

आज की बचत

कल की सुरक्षा



न्यूनतम बीमा राशि ₹1,00,000



प्लान सं. 751 यू.आई.एन. सं. 512N329V03

एक पार, नॉन लिंक्ड, व्यक्तिगत, बचत,
जीवन सूक्ष्म बचत योजना

- 18 से 55 साल की उम्र तक उपलब्ध
- पॉलिसी अवधि: 10 से 15 वर्ष
- बीमा राशि (₹): 1,00,000 से 2,00,000
- ऋण की सुविधा उपलब्ध
- एलआईसी का दुर्घटना लाभ राइडर और एलआईसी का आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता लाभ राइडर उपलब्ध है

हमारा वॉट्सऐप नं.
8976862090

कहिए
'Hi'

डाउनलोड करें
एलआईसी मोबाइल ऐप



कॉल सेन्टर सर्विस
(022) 6827 6827

Follow us : LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512



LIC

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

LIC/P1/2024-25/31/Him/SB

एलआईसी की माइक्रो बचत (यूआईएन: 512N329V03) (एक सममूल्य, असंबद्ध, वैयक्तिक, बचत, जीवन सूक्ष्म-बीमा योजना)

एलआईसी की माइक्रो बचत एक नियमित प्रीमियम, सममूल्य, असंबद्ध, व्यक्तिगत, बचत, जीवन सूक्ष्म बीमा योजना है, जो सुरक्षा और बचत का संयोजन प्रदान करती है। यह योजना पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और जीवित बीमा पॉलिसीधारक को परिपक्वता के समय एकमुश्त राशि प्रदान करती है। यह योजना अपनी ऋण सुविधा के माध्यम से नकदी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है।

यह एक एंडोमेंट योजना है, जिसमें निष्ठा अभिवृद्धि शामिल है जो पांच पॉलिसी वर्ष पूरे होने के बाद अर्जित होगी।

यह एक सममूल्य उत्पाद है, जिसके अंतर्गत पॉलिसियां निगम के वास्तविक अनुभव के आधार पर हितलाभ में हिस्सेदारी के लिए पात्र होती हैं।

इस योजना को अभिकर्ताओं/अन्य मध्यस्थों, जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन-लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी-एलआई)/कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर (सीपीएससी-एसपीवी) के माध्यम से ऑफलाइन खरीदा जा सकता है और साथ ही इसे वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से सीधे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है।

भावी पॉलिसीधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे खरीददारी संबंधी निर्णय लेते समय अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम विकल्प/उत्पाद चुनने हेतु सोचे-समझे निर्णय लेने के लिए इसी के समकक्ष अन्य उपलब्ध उत्पादों का संदर्भ ले सकते हैं, जैसे कि वार्षिकी, ULIPs आदि।

प्रमुख विशेषताएँ:

- जीवन सूक्ष्म बीमा योजना
- पॉलिसी की अवधि के दौरान भुगतान नियमित रूप से देय होते हैं।
- तीन पूर्ण वर्षों की प्रीमियम के भुगतान के बाद स्वतः बीमा-सुरक्षा
- पॉलिसी ऋण एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम के भुगतान के बाद उपलब्ध है।
- पांच पॉलिसी वर्ष पूरे होने के बाद निष्ठा अभिवृद्धि

1. पात्रता की शर्तें और अन्य प्रतिबंध:

ए) न्यूनतम मूल बीमा राशि : ₹. 100,000

बी) प्रति व्यक्ति अधिकतम मूल बीमा राशि*: रू. 200,000 मूल बीमा राशि 10,000 रुपए के गुणकों में उपलब्ध होगी, 1,00,000 रुपए से 1,80,000 रुपए तक, 1,80,000 रुपए से अधिक होने पर 20,000 रुपए का गुणक लागू होगा।

सी) प्रवेश के समय न्यूनतम आयु : 18 वर्ष (पूर्णकृत)

डी) प्रवेश के समय अधिकतम आयु : 55 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)

ई) पॉलिसी अवधि : 10 से 15 वर्ष

एफ) प्रीमियम भुगतान अवधि : पॉलिसी अवधि के समान

जी) परिपक्वता पर अधिकतम आयु : 70 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)

(*यह योजना बिना किसी चिकित्सा जांच के, केवल मानक स्वस्थ जीवन के लिए उपलब्ध है। किसी व्यक्ति के जीवन के लिए इस योजना के सभी संस्करणों के अंतर्गत जारी सभी पॉलिसियों के अंतर्गत कुल मूल बीमित राशि 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी)

जोखिम प्रारंभ होने की तिथि: इस योजना के अंतर्गत जोखिम, जोखिम की स्वीकृति की तिथि से तुरंत प्रारंभ हो जाएगा।

2. हितलाभ:

ए. मृत्यु हितलाभ:

पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, बशर्ते सभी देय प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो:

पहले पांच वर्षों के दौरान मृत्यु होने पर : “मृत्यु पर बीमित राशि” देय होगी।

पांच पॉलिसी वर्ष पूरे होने के बाद, लेकिन परिपक्वता की तिथि से पहले मृत्यु होने पर: “मृत्यु पर बीमित राशि” और निष्ठा अभिवृद्धि, यदि कोई हो, देय होगी।

जहाँ “मृत्यु पर बीमित राशि” को निम्न में से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है:

- वार्षिक प्रीमियम की 7 गुना या
- मूल बीमा राशि।

मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा। उपरोक्त प्रीमियम में कोई कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं होंगे।

“वार्षिक प्रीमियम” पॉलिसीधारक द्वारा चयनित वर्ष में देय प्रीमियम

होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, जोखिमाँकन अतिरिक्त प्रीमियम और मॉडल प्रीमियम के लिए लोडिंग, यदि कोई हो, शामिल नहीं होंगे।

“कुल भुगतान की गई प्रीमियम” का अर्थ है मूल उत्पाद के अंतर्गत भुगतान की गई सभी प्रीमियमों का योग, जिसमें कोई भी अतिरिक्त प्रीमियम और कर शामिल नहीं है, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया हो।

बी. परिपक्वता हितलाभ:

पॉलिसी अवधि के अंत तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्ते कि सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, “**परिपक्वता पर बीमित राशि**” के साथ-साथ निष्ठा अभिवृद्धि, यदि कोई हो, देय होगी।

जहाँ “**परिपक्वता पर बीमित राशि**” मूल बीमित राशि के बराबर है।

3. लोयल्टी एडीशन:

निगम के अनुभव के आधार पर, इस योजना के अंतर्गत पॉलिसियां, यदि कोई हो, तो निगम द्वारा घोषित दर और शर्तों पर लोयल्टी एडीशन के लिए पात्र होंगी।

चालू पॉलिसियों के संबंध में मृत्यु या परिपक्वता दावे के मामले में, लोयल्टी एडीशन देय होगी, बशर्ते कि प्रीमियमों का भुगतान कम से कम पांच पूर्ण वर्षों तक और पांच पॉलिसी वर्ष पूरे होने के बाद तक किया गया हो।

चुकता पॉलिसियों के संबंध में मृत्यु या परिपक्वता दावे के मामले में या अभ्यर्पण (चालू और चुकता पॉलिसियाँ दोनों) के मामले में लोयल्टी एडीशन देय होगी, बशर्ते पाँच पॉलिसी वर्ष पूरे हो गए हों और कम से कम पाँच पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो और परिपक्वता पर भुगतान की जाने वाली बीमित राशि 1,00,000 रुपए या उससे अधिक हो। ऐसे मामलों में लोयल्टी एडीशन को उन पूर्ण पॉलिसी वर्षों के लिए माना जाएगा, जिनके लिए पॉलिसी चालू थी। अभ्यर्पण के मामले में, लोयल्टी एडीशन को केवल विशेष अभ्यर्पण मूल्य की गणना में माना जाएगा।

बीमांकिक जांच से प्राप्त अधिशेष राशि में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन, एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

4. वैकल्पिक राइडर हितलाभ:

इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नलिखित

दो वैकल्पिक राइडर उपलब्ध हैं। हालाँकि, पॉलिसीधारक इनमें से किसी भी राइडर को चुन सकता है।

ए) एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर (यूआईएन: 512B209V02):

मूल योजना की पॉलिसी अवधि के भीतर किसी भी समय राइडर का विकल्प चुना जा सकता है, बशर्ते मूल योजना की बकाया पॉलिसी अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो दुर्घटना से मृत्यु (दुर्घटना से 180 दिनों के भीतर) होने की स्थिति में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त देय होगी। दुर्घटना के कारण होने वाली आकस्मिक दिव्यांगता (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर) होने की स्थिति में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि का भुगतान 10 वर्षों में समान मासिक किस्तों में किया जाएगा और दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के लिए भावी प्रीमियमों के साथ-साथ मूल बीमा राशि के उस हिस्से के लिए प्रीमियमों को, जो पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर है, माफ कर दिया जाएगा।

बी) एलआईसी दुर्घटना हितलाभ राइडर (यूआईएन : 512B203V03):

मूल योजना की पॉलिसी अवधि के भीतर किसी भी समय राइडर का विकल्प चुना जा सकता है, बशर्ते मूल योजना की बकाया पॉलिसी अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ बीमा-सुरक्षा पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो दुर्घटना से मृत्यु (दुर्घटना से 180 दिनों के भीतर) होने के मामले में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त देय होगी।

एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर या एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर के लिए प्रीमियम मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम के 30% से अधिक नहीं होगा। एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर की बीमित राशि मूल बीमित राशि से तीन गुना से अधिक नहीं हो सकती है और एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर के अंतर्गत बीमित राशि मूल योजना की मूल बीमित राशि से अधिक नहीं होगी।

उपरोक्त राइडरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए राइडर विवरणिका देखें या एलआईसी की निकटतम माइक्रो इंश्योरेंस इकाई/शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

5. प्रीमियमों का भुगतान:

प्रीमियम भुगतान की स्वीकार्य विधियाँ वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक (केवल एनएसीएच के माध्यम से) या वेतन कटौती के माध्यम से हैं।

6. अनुग्रह अवधि:

इस योजना के अंतर्गत वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की अनुग्रह अवधि और मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिनों की अनुग्रह अवधि भुगतान न हुई पहली प्रीमियम की तिथि से दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, पॉलिसी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बिना किसी रुकावट के जोखिम बीमा-सुरक्षा के साथ चालू माना जाएगा। यदि अवधि की समाप्ति से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि राइडर प्रीमियम पर भी लागू होगी, जो मूल योजना की प्रीमियम के साथ देय है।

7. नमूने हेतु उदाहरणात्मक प्रीमियम:

मानक जीवन के लिए 1 लाख रुपए की मूल बीमा राशि के लिए नमूने हेतु उदाहरणात्मक वार्षिक प्रीमियम निम्नानुसार है:

राशि रु. में

आयु	पॉलिसी अवधि		
	10	12	15
18	8,722	7,012	5,380
25	8,727	7,017	5,385
35	8,761	7,061	5,439
45	8,923	7,247	5,664
55	9,388	7,752	6,233

उपरोक्त प्रीमियम में कर शामिल नहीं हैं।

8. विधि छूट:

वार्षिक विधि	सारणीबद्ध प्रीमियम का 2%
अर्धवार्षिक विधि	सारणीबद्ध प्रीमियम का 1%
त्रैमासिक विधि	शून्य

9. उच्च मूल बीमा राशि पर छूट (प्रीमियम पर):

मूल बीमा राशि (बीएसए)	छूट (रु.)
रु. 1,00,000 से रु. 1,80,000	शून्य
रु. 2,00,000	रु. 3.00% मूल बीमा राशि

10. चुकता पॉलिसी:

यदि एक वर्ष से कम की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और उसके बाद की किसी भी प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ समाप्त हो जाएंगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और उसके बाद की किसी भी प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने पर, पॉलिसी निरस्त नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि के अंत तक चुकता पॉलिसी के रूप में जारी रहेगी। हालाँकि, एक चुकता पॉलिसी के अंतर्गत, जिसमें कम से कम तीन पूर्ण वर्षों का प्रीमियम का भुगतान किया गया है, निम्नांकित स्वतः बीमा-सुरक्षा अवधि लागू होगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु पर बीमित राशि को घटाकर ऐसी राशि कर दिया जाएगा जिसे “**मृत्यु चुकता बीमा राशि**” कहा जाता है और यह मृत्यु पर बीमित राशि को उस कुल अवधि के अनुपात से गुणा करने पर प्राप्त होगी, जिसके लिए प्रीमियम का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और वह उस अधिकतम अवधि के अनुपात से प्राप्त होगी जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता पर बीमित राशि को घटाकर ऐसी राशि कर दिया जाएगा, जिसे “**परिपक्वता पर चुकता बीमित राशि**” कहा जाएगा और यह परिपक्वता पर बीमित राशि के बराबर होगी, जिसे प्रीमियम का पहले से भुगतान की जा चुकी कुल अवधि के अनुपात से गुणा किया जाएगा और वह अधिकतम अवधि होगी जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थीं।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

1. यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष, लेकिन 3 पूर्ण वर्षों से कम की प्रीमियम भुगतान किया गया हो:

(ए) अनुग्रह अवधि पूरी होने के बाद मृत्यु होने पर : मृत्यु चुकता बीमा राशि देय होगी।

(बी) परिपक्वता पर : परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि देय होगी।

II. यदि कम से कम तीन पूर्ण वर्षों की प्रीमियमों भुगतान किया गया हो:

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत, जहां कम से कम तीन पूर्ण वर्षों की प्रीमियमों का भुगतान किया गया है, निम्नांकित स्वतः बीमा-सुरक्षा अवधि चालू होगी।

स्वतः बीमा-सुरक्षा अवधि:

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत "स्वतः बीमा-सुरक्षा अवधि" नीचे निर्दिष्ट अवधि होगी। यह स्वतः बीमा-सुरक्षा अवधि भुगतान नहीं की गई पहली प्रीमियम की तिथि से शुरू होती है और इसमें अनुग्रह अवधि शामिल होती है।

स्वतः बीमा-सुरक्षा की लागू अवधि निम्नानुसार होगी:

(i) यदि किसी पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम तीन पूर्ण वर्षों की, लेकिन पांच पूर्ण वर्षों से कम की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और उसके बाद की किसी भी प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो छह महीने की स्वतः बीमा-सुरक्षा अवधि उपलब्ध होगी।

(ii) यदि किसी पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम पांच पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और उसके बाद की किसी भी प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है: तो दो वर्ष की स्वतः बीमा-सुरक्षा अवधि उपलब्ध होगी।

ए. अनुग्रह अवधि पूरी होने के बाद, लेकिन स्वतः बीमा-सुरक्षा अवधि के दौरान चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

(ए) मृत्यु पर: एक चालू योजना के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ, (ए) मूल योजना के संबंध में मृत्यु की तिथि तक भुगतान नहीं की गई प्रीमियम की ब्याज सहित, और (बी) मूल योजना के लिए, जो मृत्यु की तिथि से और अगली पॉलिसी वर्षगाँठ से पहले बकाया शेष प्रीमियम, यदि कोई हो, की कटौती करने के बाद उसका भुगतान किया जाएगा।

स्वतः बीमा-सुरक्षा के दौरान मृत्यु हितलाभ का यह प्रावधान स्वतः बीमा-सुरक्षा अवधि के दौरान आत्महत्या के कारण हुई मृत्यु के मामले में लागू नहीं होगा।

(बी) परिपक्वता पर: परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि देय होगी। परिपक्वता

पर चुकता बीमा राशि के अतिरिक्त, निष्ठा अभिवृद्धि, यदि कोई हो, भी देय होगी, बशर्ते कि परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि 1,00,000 रुपए या उससे अधिक हो।

बी. स्वतः बीमा-सुरक्षा अवधि समाप्त होने के बाद चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

(ए) मृत्यु पर: मृत्यु पर चुकता बीमा राशि देय होगी। मृत्यु पर चुकता बीमा राशि के अतिरिक्त, निष्ठा अभिवृद्धि, यदि कोई हो, भी देय होगी, बशर्ते कम से कम 5 पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो और परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि 1,00,000 रुपए या उससे अधिक हो।

(बी) परिपक्वता पर: परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि देय होगी। परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि के अतिरिक्त, निष्ठा अभिवृद्धि, यदि कोई हो, भी देय होगी, बशर्ते कम से कम 5 पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो और परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि 1,00,000 रुपए या उससे अधिक हो। निष्ठा अभिवृद्धि उन पूर्ण पॉलिसी वर्षों के अनुरूप होगी, जिनके लिए पॉलिसी लागू थी।

किसी भी स्थिति में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मृत्यु चुकता बीमा राशि या परिपक्वता चुकता बीमा राशि इस पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगी।

यह अनुग्रह अवधि केवल चालू पॉलिसियों पर ही लागू होती है। यदि मृत्यु अनुग्रह अवधि के दौरान होती है तो अनुच्छेद 6 के प्रावधान लागू होंगे।

राइडर हितलाभ का कोई चुकता मूल्य नहीं होगा और राइडर हितलाभ स्वतः बीमा-सुरक्षा अवधि के दौरान अनुग्रह अवधि के बाद जारी नहीं रहेगा तथा यदि पॉलिसी कालातीत हो गई है तो यह लागू नहीं होगा।

11. पुनर्चलन:

यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह अवधि के अंत तक नहीं किया जाता है तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। एक कालातीत पॉलिसी को भुगतान नहीं की गई पहली प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 पूर्ण वर्षों की अवधि के भीतर और परिपक्वता की तिथि से पहले, जैसा भी मामला हो, पुनर्चलित किया जा सकता है। पुनर्चलन सभी बकाया प्रीमियमों के ब्याज सहित (अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि) भुगतान पर प्रभावी होगा, जिसकी ब्याज दर निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है और ऐसा पुनर्चलन पहले से उपलब्ध जानकारी, दस्तावेजों और रिपोर्टों के आधार पर बीमित व्यक्ति

की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि और इस संबंध में पॉलिसीधारक / बीमित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली किसी अतिरिक्त जानकारी, यदि और जैसी कि पुनर्चलन के समय निगम की जोखिमाँकन नीति के अनुसार आवश्यक हो सकती है, पर निर्भर होगा।

निगम बंद पॉलिसी के ऐसे पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बंद पॉलिसी का पुनर्चलन तभी प्रभावी होगा जब निगम द्वारा उसे अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाएगा और पुनर्चलन की रसीद जारी की जाएगी।

पॉलिसी में यदि कोई राइडर है तो उस पर मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही विचार किया जाएगा, अलग से नहीं।

पुनर्चलन अवधि और स्वतः बीमा-सुरक्षा अवधि (जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 11 में उल्लेख किया गया है) एक साथ चलेंगी, अर्थात् स्वतः बीमा-सुरक्षा अवधि के साथ पुनर्चलन की अवधि आगे नहीं बढ़ेगी।

12. अभ्यर्पण:

पॉलिसी को पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद अभ्यर्पित किया जा सकता है, बशर्ते कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। हालाँकि, पॉलिसी कम से कम दो पूर्ण वर्षों की प्रीमियम के भुगतान पर गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी और पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद विशेष अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। चालू/चुकता पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम द्वारा अभ्यर्पण मूल्य, जो गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य या विशेष अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक होगा, उसका भुगतान किया जाएगा।

विशेष अभ्यर्पण मूल्य का निर्धारण और समीक्षा वार्षिक आधार पर जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई मुख्य परिपत्र, संदर्भ : आईआरडीएआई/ एसीटीएल/ एमएसटीसीआईआर/ एमआईएससी/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किन्हीं आगामी परिपत्रों के अनुसार की जाएगी।

राइडर, यदि कोई है, पर कोई अभ्यर्पण मूल्य देय नहीं है।

अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करने पर पॉलिसी समाप्त हो जाएगी तथा आगे कोई हितलाभ देय नहीं होगा।

पॉलिसी अवधि के दौरान देय गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य, भुगतान की गई

कुल प्रीमियम को पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान की गई कुल प्रीमियमों पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक से गुणा करने पर प्राप्त प्रतिफल के बराबर होगा। प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए ये गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाती है और वे निम्नानुसार हैं:

कुल भुगतान की गई प्रीमियम पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक						
पॉलिसी वर्ष	पॉलिसी अवधि					
	10	11	12	13	14	15
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	65.00%	60.00%	57.50%	56.00%	55.00%	54.29%
9	90.00%	70.00%	65.00%	62.00%	60.00%	58.57%
10	90.00%	90.00%	72.50%	68.00%	65.00%	62.86%
11		90.00%	90.00%	74.00%	70.00%	67.14%
12			90.00%	90.00%	75.00%	71.43%
13				90.00%	90.00%	75.71%
14					90.00%	90.00%
15						90.00%

उपरोक्त प्रीमियम में कोई कर, यदि उसे स्पष्ट रूप से लिया गया हो, अतिरिक्त राशि, यदि बीमांकन निर्णय के कारण पॉलिसी के अंतर्गत ली गई हो (केवल पुनर्चलन चरण पर लागू) और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं होंगे।

13. पॉलिसी ऋण:

पॉलिसी के अंतर्गत ऋण निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अधीन, पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य के भीतर उपलब्ध होगा:

- प्रथम पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद ऋण लिया जा सकता है, बशर्ते कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो तथा यह निगम द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट नियमों व शर्तों के अधीन है।

- ii. अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा:
- चालू पॉलिसियों के लिए – 70% तक
 - चुकता पॉलिसियों के लिए – 60% तक
- iii. पॉलिसी पूर्णतः निगम को समनुदेशित की जाएगी तथा उसे ऋण एवं उस पर ब्याज की अदायगी के लिए प्रतिभूति के रूप में निगम द्वारा रखा जाएगा।
- iv. ऋण पर ब्याज का भुगतान निगम को अर्ध-वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में किया जाएगा, जिसे इस पॉलिसी के अंतर्गत ऋण लेते समय निगम द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए प्राप्त किए जाने वाले ऋण हेतु पूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ऋण ब्याज की दर पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम कारोबारी तिथि के अनुसार 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि अर्ध-वार्षिक में 300 आधार अंक जोड़कर उसके प्रतिफल, या निगम के असंबद्ध, अप्रतिभागी फंड पर अर्जित प्रतिफल में 100 आधार अंक जोड़कर उसके प्रतिफल, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से शुरू होकर 30 अप्रैल, 2025 तक 12 महीने की अवधि के लिए स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के लिए 9.50% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि अर्ध-वार्षिक होगी।

ब्याज का पहला भुगतान अगली पॉलिसी वर्षगांठ पर या अगली पॉलिसी वर्षगांठ से छह महीने पहले की तिथि को, जो भी ऋण स्वीकृत होने की तिथि के तुरंत बाद हो, और उसके बाद प्रत्येक छमाही पर किया जाना है।

- v. उपरोक्त तिथियों पर ऋण ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में, और ब्याज सहित बकाया ऋण अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाने पर निगम ऐसी पॉलिसियों को बंद करने का अधिकार होगा। जब ऐसी पॉलिसियाँ बंद की जा रही हों, तो उन्हें अभ्यर्पण मूल्य और ब्याज सहित ऋण की बकाया राशि के अंतर के भुगतान की पात्रता होगी।
- vi. यदि पॉलिसी परिपक्व हो जाती है या उसे अभ्यर्पित कर दिया जाता है या मृत्यु के कारण पॉलिसी का दावा होता है, तो निगम ऋण की राशि या उसके किसी हिस्से, जो बकाया है, को ब्याज सहित पॉलिसी राशि से काटने का अधिकारी होगा।
- vii. निगम तीन महीने की सूचना देकर ऋण की राशि को समस्त ब्याज सहित वसूलने या वापस लेने का अधिकारी है।

14. कुछ घटनाओं में जब्ती:

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन निहित है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी रोकी गई है, तो ऐसे प्रत्येक मामले में यह पॉलिसी निरस्त हो जाएगी और इस पॉलिसी के आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

15. पॉलिसी की समाप्ति:

निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर पॉलिसी तत्काल एवं स्वतः समाप्त हो जाएगी:

- ए) वह तिथि जिस दिन एकमुश्त मृत्यु हितलाभ का भुगतान किया जाता है; या
- बी) वह तिथि, जिस दिन पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभ का निपटान किया जाता है; या
- सी) परिपक्वता की तिथि; या
- डी) अनुच्छेद 13.वी में निर्दिष्ट ऋण ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में; या
- ई) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर यदि पॉलिसी ने चुकता स्थिति प्राप्त नहीं की है, तथा पुनर्चलन अवधि के भीतर पुनर्चलित नहीं की गई है; या
- एफ) मुक्त अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या
- जी) उपरोक्त अनुच्छेद 14 में निर्दिष्ट जब्ती की स्थिति में।

16. कर:

भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर लगाए गए वैधानिक कर, यदि कोई हों, समय-समय पर लागू कर कानूनों और कर की दर के अनुसार होंगे।

प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि, प्रीमियम (मूल योजना और राइडरों, यदि कोई हों), पर पॉलिसीधारक द्वारा देय होगी, जिसमें अतिरिक्त प्रीमियम शामिल है, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के

अतिरिक्त अलग से लिया जाएगा। भुगतान की गई कर राशि पर योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत भुगतान की गई प्रीमियमों और देय हितलाभों पर आयकर हितलाभों/निहितार्थों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श लें।

17. मुक्त अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के “नियमों और शर्तों” से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ की इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आपत्तियों के कारण बताते हुए पॉलिसी निगम को वापस की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर निगम पॉलिसी को निरस्त कर देगा और जमा की गई प्रीमियम की राशि को उस अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना और राइडर, यदि कोई हो) तथा स्टाम्प ड्यूटी शुल्क की कटौती करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।

18. अपवर्जन:

आत्महत्या :- निम्नांकित स्थितियों में पॉलिसी निरस्त हो जाएगी

- i. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है, तो बीमित व्यक्ति के नामिती या लाभार्थी को भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 80% को पाने की पात्रता होगी, बशर्ते पॉलिसी चालू हो।
- ii. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पुनर्चलन की तिथि से 12 महीनों के भीतर आत्महत्या कर लेता है, तो मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम का 80% या मृत्यु की तिथि तक उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो अधिक होगा, वह राशि देय होगी। बीमित व्यक्ति के नामिती या लाभार्थी को पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे का अधिकार नहीं होगा। यह खण्ड चुकता मूल्य प्राप्त किए बिना समाप्त हो चुकी पॉलिसी के लिए लागू नहीं होगा और ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

नोट: उपरोक्त प्रीमियम में कोई कर (यदि उसे स्पष्ट रूप से लिया गया हो), अभिवृद्धि और राइडर प्रीमियम (यदि कोई हो) शामिल नहीं होंगे।

आत्महत्या के कारण हुई मृत्यु के मामले में स्वतः बीमा-सुरक्षा के अंतर्गत छूट लागू नहीं होगी।

19. हितलाभ उदाहरण:

वितरण चैनल	ऑफ- लाइन	प्रस्ताव संख्या:	
संभावित ग्राहक / पॉलिसी धारक का नाम:		बोनस प्रकार	निष्ठा अभिवृद्धियां
आयु:		प्रीमियम भुगतान की विधि	वार्षिक
बीमित व्यक्ति का नाम:		मूल बीमित राशि	100000
आयु:	25	मृत्यु पर बीमित राशि (पॉलिसी की शुरुआत में) रु.	100000
पॉलिसी अवधि:	15	किस्त प्रीमियम की राशि:	5385
प्रीमियम भुगतान अवधि:	15		

इस हितलाभ उदाहरण को कैसे पढ़ें और समझें ?

इस हितलाभ उदाहरण का उद्देश्य पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिक प्रीमियम और हितलाभ को दो अनुमानित ब्याज दरों अर्थात 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष पर दर्शाना है।

कुछ हितलाभ गारंटीकृत हैं और कुछ हितलाभ परिवर्तनीय हैं, जिनका प्रतिफल आपके बीमाकर्ता के जीवन बीमा व्यवसाय के भावी प्रदर्शन पर आधारित है। यदि आपकी पॉलिसी गारंटीकृत हितलाभ प्रदान करती है, तो इस पृष्ठ पर उदाहरण तालिका में इन्हें स्पष्ट रूप से "गारंटीकृत" के रूप में चिह्नित किया जाएगा। यदि आपकी पॉलिसी परिवर्तनीय हितलाभ प्रदान करती है, तो इस पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण में 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष की अनुमानित भावी निवेश प्रतिफल की दो अलग-अलग दरें दिखाई देंगी। प्रतिफल की ये अनुमानित दरें गारंटीकृत नहीं हैं और वे आपके द्वारा वापस प्राप्त की जाने वाली राशि की ऊपरी या निचली सीमा नहीं हैं, क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भविष्य के निवेश प्रदर्शन सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।

प्रीमियम सारांश			
	मूल योजना	राइडर 1	कुल किस्त प्रीमियम
किस्त प्रीमियम, जीएसटी के बिना	5385.00		5385.00
किस्त प्रीमियम, प्रथम वर्ष जीएसटी के साथ	5385.00		5385.00
किस्त प्रीमियम, द्वितीय वर्ष से जीएसटी के साथ	5385.00		5385.00

नोट: जीएसटी दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी। वर्तमान में इसकी छूट दी गई है।

पॉलिसी वर्ष (वर्ष की समाप्ति)	वार्षिक प्रीमियम (संचयी) ²	गारंटीकृत हितलाभ			अ-गारंटीकृत हितलाभ @ 4% प्रतिवर्ष			
		परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ	गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य	निष्ठा अभिवृद्धियाँ	कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य ³	विशेष अभ्यर्पण मूल्य ³	अभ्यर्पण लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5385	0	100000	0	0	0	2412	2412
2	10770	0	100000	3231	0	3231	5180	5180
3	16155	0	100000	5654	0	5654	8350	8350
4	21540	0	100000	10770	0	10770	11960	11960
5	26925	0	100000	13463	0	13463	16067	16067
6	32310	0	100000	16155	0	16155	20724	20724
7	37695	0	100000	18848	0	18848	25989	25989
8	43080	0	100000	23388	0	23388	31936	31936
9	48465	0	100000	28386	0	28386	38634	38634
10	53850	0	100000	33850	0	33850	46167	46167
11	59235	0	100000	39770	0	39770	54626	54626
12	64620	0	100000	46158	0	46158	64120	64120
13	70005	0	100000	53001	0	53001	74759	74759
14	75390	0	100000	67851	0	67851	86669	86669
15	80775	100000	100000	72698	0	72698	100000	100000

टिप्पणियाँ:

इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और विभिन्न परिस्थितियों में हितलाभ के प्रवाह को कुछ हद तक परिमाणीकरण के साथ समझ सके।

यह उदाहरण एक मानक (चिकित्सा, जीवन शैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी के प्रारंभ में प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चयनित सभी राइडरों के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।

2. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर आवृत्ति लोडिंग, राइडरों के लिए भुगतान की गई प्रीमियमों और वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं। इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के लिए विक्रय साहित्य देखें।

3. अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से उच्चतर है। एसएसवी की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई मास्टर परिपत्र,

अ-गारंटीकृत हितलाभ @ 8% प्रतिवर्ष				कुल हितलाभ			
				परिपक्वता हितलाभ		मृत्यु हितलाभ ⁴	
निष्ठा अभिवृद्धियाँ	कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य ³	विशेष अभ्यर्पण मूल्य ³	अभ्यर्पण लाभ	कुल परिपक्वता हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस (एफएबी), यदि कोई हो, सहित, @4% (3+6)	कुल परिपक्वता हितलाभ, निष्ठा अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, सहित, @8% (3+10)	कुल मृत्यु हितलाभ, निष्ठा अभिवृद्धि, यदि कोई हो, सहित, @4% (4+6)	कुल मृत्यु हितलाभ, निष्ठा अभिवृद्धि, यदि कोई हो, सहित, @8% (4+10)
10	11	12	13	14	15	16	17
0	0	2412	2412	0	0	100000	100000
0	3231	5180	5180	0	0	100000	100000
0	5654	8350	8350	0	0	100000	100000
0	10770	11960	11960	0	0	100000	100000
0	13463	16067	16067	0	0	100000	100000
500	16655	21224	21224	0	0	100000	100500
500	19348	26489	26489	0	0	100000	100500
500	23888	32436	32436	0	0	100000	100500
500	28886	39134	39134	0	0	100000	100500
500	34350	46667	46667	0	0	100000	100500
500	40270	55126	55126	0	0	100000	100500
500	46658	64620	64620	0	0	100000	100500
500	53501	75259	75259	0	0	100000	100500
500	68351	87169	87169	0	0	100000	100500
500	73198	100500	100500	100000	100500	100000	100500

संदर्भ: संख्या IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024, दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए किन्हीं आगामी परिपत्रों के अनुसार की जाएगी। अभ्यर्पण मूल्य की गणना के लिए, यह माना जाता है कि निष्ठा अभिवृद्धि की घोषणा इस उत्पाद के अंतर्गत निगम के अनुभव के आधार पर, वार्षिक मूल्यांकन परिणामों के नियमों और शर्तों के अनुसार होगी।

4. किसी भी स्थिति में पॉलिसी अवधि के दौरान कुल मृत्यु हितलाभ भुगतान की गई कुल प्रीमियम (जीएसटी, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर) के 105% से कम नहीं होगा।

- बीमांकिक जांच से प्राप्त अधिशेष में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार होगा।

20. शिकायत निवारण प्रणाली:

निगम का:

ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में निगम के शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) मौजूद हैं। ग्राहक हमारी वेबसाइट (<https://licindia.in/web/guest/grievances>) पर जाकर जीआरओ के नाम और संपर्क जानकारी तथा शिकायत-संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने के लिए निगम ने हमारे ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) <http://www.licindia.in> के ज़रिए ग्राहक-अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली आरंभ की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/परिवाद दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति का पता लगा सकता है। ग्राहक अपनी सभी शिकायतों के निवारण के लिए ई-मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावा अस्वीकृति के निर्णय से असंतुष्ट दावेदारों के पास अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति को भेजने का विकल्प है। एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/ज़िला न्यायालय का न्यायाधीश हर दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीएआई का:

यदि ग्राहक प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट है या उसे 15 दिनों के भीतर हमसे कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो वह निम्नलिखित में से कोई भी तरीका अपनाकर पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकता है:

- i) टोल-फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर-(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल करना
- ii) complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेजना
- iii) <https://bimabharosa.irdai.gov.in> पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना
- iv) कूरियर/पत्र के ज़रिए शिकायत भेजने का पता: महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे नंबर 115/1, वित्त ज़िला, नानकरामगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना।

लोकपाल का:

दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार बीमा लोकपाल से भी सम्पर्क कर सकते हैं, जिससे ग्राहक किफ़ायती और शीघ्र मध्यस्थता प्राप्त कर सकते हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान समय-समय पर संशोधित रूप में लागू होंगे। इस प्रावधान का वर्तमान संस्करण इस प्रकार है:

(1) जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आधार पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, अर्थात् पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो।

(2) धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय सवाल उठाया जा सकता है:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को लिखित में बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I- इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए, "धोखाधड़ी" शब्द का मतलब बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए उकसाने की मंशा से किए गए निम्नांकित में से किसी भी कार्य से है:-

(ए) तथ्य के रूप में किसी ऐसे विचार का सुझाव देना जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना जबकि उसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसकी वास्तविकता का विश्वास हो;

(सी) कोई और कृत्य जो धोखा देने के लिए प्रयोग किया गया हो; और

(डी) ऐसा कोई कृत्य या भूल-चूक जिसे कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी घोषित किया गया हो।

स्पष्टीकरण ॥- ऐसे तथ्यों के बारे में मात्र मौन रहना जिनसे बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन के प्रभावित होने की संभावना हो, तब तक धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि यदि उन पर ध्यान दिया जाए, तो बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट का यह कर्तव्य है कि वह बोलने से मौन रहे या जब तक कि उसका मौन रहना अपने आप में ही बोलने के समतुल्य न हो।

(3) उपधारा (2) में कोई भी बात शामिल होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता धोखाधड़ी के आधार पर किसी जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकृत नहीं करेगा, यदि बीमाधारक यह प्रमाणित कर सकता है कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य था या यह कि उस तथ्य को छिपाए जाने की कोई जान बूझ कर मंशा नहीं थी या यह कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते कि धोखाधड़ी की स्थिति में यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो झूठ को गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर होता है।

स्पष्टीकरण - कोई व्यक्ति, जो बीमा के अनुबंध की माँग करता है या बातचीत करता है, वह अनुबंध करने के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेंट समझा जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, इस आधार पर कि बीमाकर्ता के जीवन की प्रत्याशा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के किसी कथन को छिपाने का कथन प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज़ पर गलत ढंग से किया गया था जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्जीवित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय सवाल उठाया जा सकता है:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को लिखित में बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकृत का ऐसा निर्णय लिया गया है।

बशर्ते कि महत्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत करने की स्थिति में, न कि धोखाधड़ी के आधार पर, अस्वीकृति की तारीख तक पॉलिसी पर लिए गए प्रीमियम बीमित व्यक्ति या विधिक प्रतिनिधियों या नामित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को ऐसे

अस्वीकृति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अदा किए जाएँगे।
स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तथ्य का मिथ्या कथन या छिपाया जाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रमाणित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता उक्त तथ्य से अवगत होता, तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

(5) इस धारा में शामिल कोई भी बात बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने से रोक नहीं सकेगी यदि वह ऐसा करने का हकदार हो, और किसी भी पॉलिसी को सिर्फ़ इस कारण प्रश्नगत किया गया नहीं समझा जाएगा कि पॉलिसी की शर्तें बाद में यह प्रमाणित किए जाने पर ठीक कर ली गई हैं कि बीमित व्यक्ति की आयु प्रस्ताव में गलत बताई गई थी।

21. छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41):

- 1) कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से जुड़े किसी भी तरह के जोखिम के संबंध में कोई बीमा लेने या नवीकृत करने या जारी रखने हेतु, प्रलोभन के रूप में, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी भी रियायत की अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं देगा और न ही पॉलिसी लेने या नवीकृत करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति कोई भी रियायत स्वीकार करेगा, सिवाए उस रियायत के जिसकी अनुमति बीमाकर्ता के प्रकाशित सूचीपत्रों या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।
- 2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि दस लाख रुपये तक हो सकता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएँ जो एलआईसी पर लागू हैं, समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार लागू होंगी।

इस उत्पाद विवरणिका में इस योजना की मुख्य विशेषताओं का ही वर्णन है। आगामी विस्तृत जानकारी के लिए कृपया पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारी निकटतम सूक्ष्म बीमा इकाई से संपर्क करें।

भ्रामक फ़ोन कॉल और फ़र्जी/धोखाधड़ी वाली पेशकशों से सावधान रहें

आईआरडीएआई या इसके अधिकारी बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों का निवेश करने एवं राशियाँ लौटाने जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं हैं। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों से अनुरोध है कि वे इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

“भारतीय जीवन बीमा निगम” की स्थापना जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1 सितम्बर, 1956 को की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के समस्त बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुँचने और उन्हें बीमित घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से जीवन बीमा का दूर-दूर तक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार करना था। भारतीय बीमा के उदारीकृत परिदृश्य में भी एलआईसी प्रमुख जीवन बीमाकर्ता बना हुआ है और अपने पिछले रिकॉर्ड से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक नए विकास पथ पर तेज़ी से आगे कदम बढ़ा रहा है। छः दशकों से भी ज़्यादा समय से अपने अस्तित्व में, एलआईसी ने परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में दृढ़ता से अपना उत्तरोत्तर विकास किया है।



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

केंद्रीय कार्यालय,

योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400021.

वेबसाइट: www.licindia.in

पंजीकरण संख्या: 512